POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 सितम्बर 2026 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

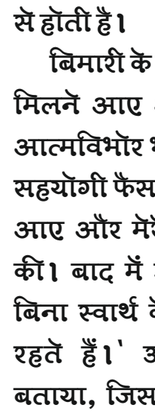

जयपुर से पॉस्टकार्ड-2.2

जिंदगी का पैमाना

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! मुझे गंभीर निमोनिया हुआ था। अब मैं ठीक हो रहा हूं। इस समय मुझे चार दशक से अधिक लंबे सार्वजनिक जीवन पर विचार करने का अवसर मिल रहा है।

वर्ष 1983 में जयपुर में मेरे द्वारा स्थापित 'कट्स' की यात्रा केवल एक संस्था बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों के विचारों और मूल्यों से जुड़े एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन गई। इस दौरान परिवार, मित्रों, सहयोगियों और देश-विदेश से मिलने वाले शुभचिंतकों के स्नेह ने मुझे यह महसूस कराया कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके द्वारा समाज हित में किए गए नि:स्वार्थ कार्यों से होती है।

बिमारी के दौरान बहुत से लोग मुझसे मिलने आए और उनके संदेशों ने मुझे आत्मविभोर भी किया। मसलन, मेरे पूर्व सहयोगी फैसल अहमद दिल्ली से मिलने आए और मेरे स्वस्थ्य होने की कामना की। बाद में उन्होंने लिखा 'कुछ रिश्ते बिना स्वार्थ के होते हैं और हमेशा बने रहते हैं।' उन्होंने मुझे ऐसा व्यक्ति बताया, जिसने पूरी दुनिया में लोगों के हितों के लिए काम किया व उपभोक्ता अधिकार और लोक हित के कई मामलों में पैरवी की।

इस बात का समर्थन कई बड़े लोगों ने भी किया। इनमें योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, डब्ल्यूटीओ के पूर्व उप महानिदेशक अनवरुल होडा और डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो इवेला शामिल हैं। इन सभी ने मेरे काम की सराहना की। लोगों ने मुझे अनेक नाम दिए। किसी ने स्नेहपूर्वक 'बॉस एमेरिटस' कहा, राजस्थान के उपभोक्ता कार्यकर्ताओं ने मुझे 'द्रोणाचार्य' और दक्षिण एशिया के साथियों ने 'गुरू' के नाम से संबोधित किया। इन संबोधनों के पीछे मेरे व्यक्तिगत योगदान से अधिक उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास है, जिन्हें मेरे मार्गदर्शन में जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला।

जिस बात ने मेरे दिल को सबसे ज्यादा छुआ, वह बीकानेर के महेन्द्र सिंह शेखावत ने कही। वह 1980 के दशक से उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े हैं। वे अपनी किताब में लिखते हैं कि 'ग्रामगदर' और 'कट्स' ने राजस्थान में उपभोक्ता आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने कहा 'कट्स' सिर्फ एक संस्था नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, जिसने आम लोगों को यह समझाया कि उपभोक्ता लोकतंत्र के जागरूक नागरिक हैं।

तब सरकार और समाज मिल कर काम करते थे। मैं सिविल सर्वेंट, प्रमिला सुराना और ललित पवार को नहीं भुला सकता, जिनके सपोर्ट और हौसला-अफजाई ने राज्य में कंज्यूमर मूवमेंट की नींव रखने में मदद की, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बना।

मैं ऐसे ही सैकड़ों लोगों से मिले इतने प्यार और सम्मान के बारे में सोचता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि बहुत कम लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे जीते-जी अपनी विरासत को बनते हुए देख सकें।

खुद को मैं ऐसे भाग्यशाली लोगों में मानता हूं। अगर मेरे सफर का कोई स्थाई महत्व है, तो वह सिर्फ मेरे द्वारा स्थापित संस्थाओं में नहीं बल्कि उन लोगों में है जिन्हें मैंने मार्गदर्शन दिया है, उन सैकड़ों बदलाव लाने वाले लोगों में है जिन्हें मैंने आगे बढ़ने में मदद की है, उन मुद्दों में है जिनके लिए मैंने जनहित में लगातार काम किया है, उन मूल्यों में है जो मेरे हटने के बाद भी लंबे समय तक प्रेरणा देते रहेंगे।

राजस्थान में होंगे 'वन स्टेट-वन इलेक्शन'

देश में पहली बार राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है।

अब आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे चुनाव प्रक्रिया मध्य नवंबर तक पूरी होने की संभावना है। बैठक में पंचायतीराज चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की अवधारणा पर कराए जाने समेत कई अहम फैसले भी लिए गए हैं।

पेपर लीक पर नया सख्त कानून

अब पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं होगी। संसद के दोनों सदनों में पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिलने के बाद यह नया कानून लागू हो गया है।

नए कानून में पेपर लीक के मामले में पांच साल की सजा व पचास लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं एजेंसी या संगठित अपराध के रूप में गड़बड़ी करने पर 10 साल तक की सजा व 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। सबसे अहम बात यह है कि मामले की जांच व मुकदमें के लिए समय सीमा तय की गई है, जिससे अपराध होने के पांच माह में अपराधी को सजा मिल सकेगी।

हर जिले में होगा 'सूरज वाला गांव'

केंद्र सरकार की योजना के तहत देशभर में 455 जिलों में 'मॉडल सौर ग्राम' विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल में राजस्थान के सभी 41 जिलों से एक-एक गांव का चयन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना, बिजली खर्च कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है।

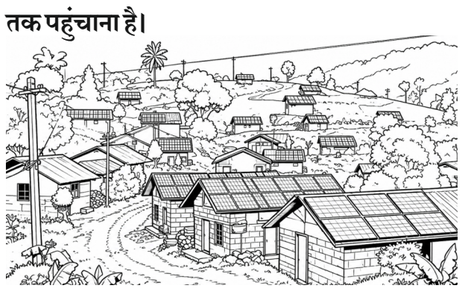

योजना के तहत चयनित प्रत्येक मॉडल सौर ग्राम के समग्र विकास के लिए प्रति गांव एक करोड़ रुपए तक की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने पर प्रति स्थापना 1,000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

अटल भूजल योजना से मिली राहत

जल संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2020 में शुरू की गई अटल भूजल योजना के तहत चयनित प्रदेश के 38 ब्लॉकों में से 29 ब्लॉकों के भूजल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। योजना में प्रदेश को 514.84 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, जिनमें से 513.60 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वाटर बजटिंग व जन भागीदारी के प्रयासों का सकारात्मक असर दिखने लगा है। अभी 9 ब्लॉकों में भूजल स्तर (बांदीकुई, नांगल राजावतान, हनुमानगढ़, टिब्बी, जालसू, जैसलमेर, गोविंदगढ़, नाचना और खानपुर) में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।

भोजन की थाली में घट रहे पोषक तत्व

भोजन की थाली में घटते पोषक तत्व और अन्न उत्पादन में उर्वरकों का बढ़ता इस्तेमाल लोगों की सेहत, खेत की मिट्टी और पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसार फसलों में जिंक, लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के पोषक तत्व 30 फीसदी तक कम हो चुके हैं।

यानी जो अनाज हम खा रहे हैं वह पेट तो भर रहा है लेकिन जरूरी पोषण नहीं दे रहा है। खेतों की मिट्टी से अन्न भंडार तो भर रहे हैं, लेकिन उस पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बोझ बढ़ गया है। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन तो तीन गुना से ज्यादा बढ़ा, लेकिन उर्वरकों का इस्तेमाल 14 गुना से ज्यादा हो गया, जो जन स्वास्थ के लिए खतरा साबित हो रहा है।

नई कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति

राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 और फूड पार्क विकास नीति-2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत फल, सब्जी, मसाले, अनाज, दलहन, तिलहन, दूध, शहद, औषधीय पौधों और पशु आहार आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग इकाइयों और सप्लाई चेन को विकसित किया जाएगा। हर जिले में क्लस्टर आधारित फूड पार्क स्थापित होंगे और पीपीपी मॉडल के जरिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे खेत से बाजार तक मजबूत वैल्यू चेन विकसित हो सकेगी और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही हो सकेगी।

एएनएम बनीं गांवों की 'डॉक्टर दीदी'

सुजानगढ़ ब्लॉक के भानीसरिया उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम कमला मेघवाल आसपास के 10 से ज्यादा गांवों की गर्भवती महिलाओं के लिए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से कम नहीं हैं। क्षेत्र में वह डॉक्टर दीदी के नाम से जानी जाती है।

वह हर माह औसतन 15 से अधिक सुरक्षित नॉर्मल प्रसव करा रही है। आसपास के अलावा दूर-दूर के गांवों तक से प्रसूताएं इनके पास नॉर्मल प्रसव करवाने पहुंचती हैं। वह बीते 13 साल में करीब 1351 सामान्य प्रसव करा चुकी हैं। अब तक मातृ मृत्यु दर का आंकड़ा शून्य है। सीएमएचओ ने बताया कि कलेक्टर ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों को भी भानीसरिया केंद्र का काम देखने-समझने के लिए दौरा करने के निर्देश दिए हैं।

शहरों और गांवों में बनेंगी नई सड़कें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 हजार 101.16 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेशभर में 3 हजार 232 नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

बजट 2026-27 में की गई घोषणाओं के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है। इन सड़कों के निर्माण से उन क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा, जहां अभी तक सड़क संपर्क कमजोर है या आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर गांव, कस्बे और शहर को गुणवत्तापूर्ण सड़क संपर्क से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा।

विश्वास का प्रतीक है 'नोतरा' प्रथा

बांसवाड़ा-डूंगरपुर के जनजाति गांवों में 'नोतरा' आज भी सामाजिक जीवन का आधार है। शादी, बीमारी, मकान निर्माण या मृत्यु जैसे बड़े खर्च पर परिवार खुद को अकेला महसूस नहीं करता। पंच पटेलों की मौजूदगी में गांववाले और रिस्तेदार अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग करते हैं।

यह न चंदा है और न ही दान, यह एक ऐसा सामाजिक बैंक है जो ब्याज पर नहीं, भरोसे पर चलता है। जनजाति परिवार में बड़ा खर्च आ पड़े तो लोग जुटते हैं और आर्थिक सहयोग देते हैं। सहयोग पाने वाला परिवार बाद में जरूरत पड़ने पर दूसरे परिवारों के नोतरा में भाग लेकर आर्थिक सहयोग देता है। इस प्रथा से लोग साहूकारों के कर्ज और भारी ब्याज से बच जाते हैं। इससे आपसी एकता मजबूत होती है।

फूड लेबलिंग पर जल्द करें फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा चीनी, नमक और सेंचूरेटेड फैट वाले पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर सामने की ओर चेतावनी लेबल लगाने में देरी पर केंद्र सरकार व नियामक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को फटकार लगाई है।

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सख्त पोषण संबंधी चेतावनियां लागू करने में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो अदालत आदेश जारी करेगी। कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

नवजातों को मिलेगा मुफ्त इलाज

प्रदेश में नवजात शिशुओं की मौतों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जननी सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस साल जन्म लेने वाले करीब 8 लाख से ज्यादा नवजातों को अब जन्म के बाद एक साल तक मुफ्त इलाज, दवा, जांच और एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। अभी सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चे को 30 दिन तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।

इसे केंद्र की योजना से जोड़कर निजी अस्पतालों में भी लागू किया जा सकता है। नवजात को उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर करने की जरूरत पड़ने पर उसे बड़े अस्पताल तक लाने ले जाने की व्यवस्था और पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव से जुड़ी सुविधाएं भी मुफ्त मिलेगी।

महिलाओं में खून की कमी पड़ रही भारी

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार राजस्थान में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 54.4 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हालात ज्यादा चिंताजनक है। यहां उक्त आयु वर्ग की 61.6 फीसदी महिलाओं में खून की कमी पाई गई है।

बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में तो यह आंकड़ा बढ़कर 72.6 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सरकार की ओर से जारी कई योजनाओं के बावजूद यह गंभीर चुनौती बरकरार है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त पोषण नहीं मिलना, आयरन युक्त आहार की कमी और स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव इसका प्रमुख कारण है।

उपभोक्ता कर रहे इंसाफ का इंतजार

उपभोक्ताओं को न्याय प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा कानूनी मंच उपभोक्ता आयोग हैं। लेकिन उपभोक्ता आयोगों में इंसाफ मिलने में देरी बढ़ती जा रही है। मसलन वर्ष 2021 में मामले निपटाने की जो दर 74.5% रही थी वह वर्ष 2025 के मार्च तक 30.2% पर आ गई है।

इस साल 1.98 लाख नए केस दर्ज हुए लेकिन निपटारा सिर्फ 59,850 मामलों का हुआ। यानी 100 नए मामलों में 30 मामले ही निपट पाए। विशेषज्ञ बेजोन मिश्रा का कहना है कि केस लंबित रहने से कंपनियों पर दबाव कम होता है। फैसला देर से आने पर उपभोक्ता लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाता। आयोगों के कमजोर होने से अनुचित व्यापार पर अंकुश कम हो जाएगा। बढ़ते केस और आयोगों में पदों का खाली रहना भी कई सवाल खड़े करता है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर